

161

27

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 207/प्र0अ0-भवन/ए0न-2/2011-12 दिनांक 28/08/2013

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि इस गृह के सम्बन्ध में भवन पर धर्मशाला विस्तार स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मासिकाना अधिकारों पर किसी का कोई अंशर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिगत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री गिरमारी लाल मदनानी, न्यासी राँझू दयाली पब्लिक बैरिस्टेरुल ट्रस्ट द्वारा भूखण्ड संख्या-4 एवं 4ए लूकरगंज इलाहाबाद जे0 संख्या (2) के अन्तर्गत धर्मशाला विस्तार के निर्माण की अनुमति हेतु आशिक्ष भवन मानचित्र के प्रभावित भाग पर 'निनाकिल' प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपयोग/अधिभोग किया जायेगा. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्धारित किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी दिवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 506.41 वर्गमीटर एरिया पार्क/खुला क्षेत्र के रूप में विवक्षित किया जाना आवश्यक होगा तथा कन-नीति के अनुसार 18 अदृष्ट वृक्ष लगाने होंगे।
5. पार्किंग स्पेस 528.00 वर्गमीटर जो मानचित्र पर दर्शित है के अनुसार इस नू भाग में कोई भी अन्य निर्माण/उपयोग निषिद्ध होगा।
6. स्थल पर रेनवाटर हार्पिस्टिंग प्रणाली मानक के अनुसार विकसित कर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही जमा 2400000000 अंशमुक्त किया जायेगा।
7. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
8. मुख्य आग्नि ज्ञान अधिकारी इलाहाबाद को अनापत्ति पत्र संख्या-2013/इला0/157/सि0र10/0075 दिनांक 05.07.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न) तथा पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व अन्तिम अनापत्ति भी प्राप्त करनी होगी।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र संख्या-267/STCE/13 दिनांक 16.08.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
10. स्थल पर सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक रूप से करनी होगी।
11. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, तामिल सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Continued

